न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2018/00127 **दायर दिनांक 19.11.2018**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **–सायल–**

बनाम

शिशपाल उर्फ कालीया पुत्र हरलालसिंह जाति जाट उम्र 48 साल निवासी सिरसली पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू। **–गैरसायल–**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**
2. **अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनियां वास्ते गैरसायल**

निर्णय **दिनांक : 28.09.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल शिशपाल उर्फ कालीया पुत्र हरलालसिंह जाति जाट उम्र 48 साल निवासी सिरसली पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध शराब बेचने का काम करता है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नतीजा पुलिस	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1	05/14.01.2013	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	चालान 04.04.2013	81/13	सजा 18.07.2013
2.	69/19.09.2013	19/54 राज. आबकारी अधिनियम	चालान 21.11.2013	564/2013	सजा 22.11.2013

अतः इस्तगासा विरुद्ध शिशपाल उर्फ कालीया पुत्र हरलालसिंह जाति जाट उम्र 48 साल निवासी सिरसली पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनिया ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब दिनांक 25.09.2019 को पेश किया। अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि गैरसायल की आयु 55 वर्ष है। वह मजदूरी करके परिवार का भरण–पोषण करता हैं। अतः उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 बार, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैरसायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2018/00127

पुलिस अधिक्षक चूरू बनाम शिशपाल उर्फ कालीया

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू व गैरसायल अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 बार, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दिनांक 14.01.2013 व 19.09.2013 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल शिशपाल उर्फ कालीया पुत्र हरलालसिंह जाति जाट उम्र 48 साल निवासी सिरसली पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल शिशपाल उर्फ कालीया पुत्र हरलालसिंह जाति जाट उम्र 48 साल निवासी सिरसली पुलिस थाना दूधवाखारा जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना दूधवाखारा गैरसायल शिशपाल उर्फ कालीया को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना दूधवाखारा तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू